"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 220] रायपुर, सोमवार, दिनांक 9 सितम्बर 2002—भाद्र 18, शक 1924

पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2002

अधिसूचना

क्रमांक 5547/पर्या.न.वि.वि./2002.—राज्य सरकार की राय में बिलासपुर विकास प्राधिकरण, बिलासपुर का अस्तित्व में बना रहना अनावश्यक है.

अतएव, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 76 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा घोषित करती है कि बिलासपुर विकास प्राधिकरण, बिलासपुर का इस अधिसूचना के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने की तारीख से विघटन किया जाता है.

विघटित बिलासपुर विकास प्राधिकरण, बिलासपुर की समस्त आस्तियां तथा दायित्व, विघटन की तारीख से, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 76 की उपधारा (2) में यथा निर्दिष्ट रीति में छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम, अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) के उपबंधों के अधीन गठित नगर पालिक निगम, बिलासपुर में निहित हो जाएंगे.

Raipur, the 9th September 2002

NOTIFICATION

No.5547/Envt. & U.D.D./2002.—WHEREAS in the opinion the State Government the continued existence of Development Authority, Bilaspur is unnecessary;

Now therefore, in exercise of the power conferred by Sub-section (1) of Section 76 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) the State Government hereby declares that the Development Authority, Bilaspur is dissolved with effect from the date of publication of this Notification in the "Chhattisgarh Gazette".

All assests and liabilities of the dissolved Development Authority Bilaspur shall stand vested in Nagar Palik Nigam, Bilaspur constituted under the provisions of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) from the date of dissolution in the manner as referred to in sub-section (2) of Section 76 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय शुक्ला, उप-सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.